

राजस्थान-सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 2/बारां/1997-98

यह प्रमाणित किया जाता है कि अशोक तकनीकी एवं व्यावसायिक

प्रशिक्षण संस्थान, डीपाडडौद जिला बारां का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28
1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दि. तीस

माह अप्रैल सन् एक हजार नौ सौ अठ्याने को 30.04.97 में दिया गया।

प्रमाणित (हस्ताक्षर)
§ एम. एल. गर्ग §

रजिस्ट्रार संस्थाएं